पत्र सं०–6 एस०एस०(6)11 / 2020–3074/

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,(ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक– 18 / 6 / 2026.

विषय– वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत (केन्द्र सरकार द्वारा 2020–21 से 2024–25 तक प्रशासनिक स्वीकृत) स्वीकृत तथा कार्यान्वित लाभुक आधारित–मात्स्यिकी विकास की अवयवों को पूर्ण करने हेतु प्रथम किस्त की ₹ 1063.72 लाख (दस करोड़ तिरसठ लाख बहत्तर हजार मात्र) केन्द्रांश मदर सैंक्शन राशि तथा इसके समानुपातिक ₹ 709.16 लाख (सात करोड़ नौ लाख सोलह हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹ 1772.88 करोड़ (सतरह करोड़ बहत्तर लाख अट्ठासी हजार मात्र) राशि की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत (केन्द्र सरकार द्वारा 2020–21 से 2024–25 तक प्रशासनिक स्वीकृत) स्वीकृत तथा कार्यान्वित लाभुक आधारित–मात्स्यिकी विकास की अवयवों को पूर्ण करने हेतु प्रथम किस्त की ₹ 1063.72 लाख (दस करोड़ तिरसठ लाख बहत्तर हजार मात्र) केन्द्रांश मदर सैंक्शन राशि तथा इसके समानुपातिक ₹ 709.16 लाख (सात करोड़ नौ लाख सोलह हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹ 1772.88 करोड़ (सतरह करोड़ बहत्तर लाख अट्ठासी हजार मात्र) राशि की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना की विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I एवं II के रूप में संलग्न।

2. विभागीय राज्यादेश संख्या–2579, दिनांक–22.09.2020 (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के प्रथम चरण में प्रशासनिक स्वीकृत), संख्या–3572, दिनांक–29.12.2021 (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के अतिरिक्त चरण में प्रशासनिक स्वीकृत), संख्या–4137, दिनांक–07.12.2022 एवं 4595, दिनांक–21.12.2023 (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 में तथा राज्य सरकार द्वारा 2022–23 में प्रशासनिक स्वीकृत), संख्या–4034, दिनांक–30.11.2022 (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 में प्रशासनिक स्वीकृत), संख्या–475, दिनांक–12.02.2024 (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 में प्रशासनिक स्वीकृत) तथा संख्या–4520, दिनांक–30.09.2024 एवं संख्या–1493, दिनांक–27.03.2025 (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 में प्रशासनिक स्वीकृत) द्वारा केन्द्र प्रायोजित– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभुक एवं गैर आधारित–मात्स्यिकी विकास की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई हैं तथा उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं।

3. उपर्युक्त कार्यान्वित केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाओं को पूर्ण करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या–F.No.J-117012/13/2020-Fy-(E-17011), दिनांक–12.05.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में मदर सैंक्शन के प्रथम किस्त के रूप में ₹ 2000.00 लाख (बीस करोड़ मात्र) केन्द्रांश राशि विमुक्त की गई है।

4. केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त ₹ 2000.00 लाख (बीस करोड़ मात्र) केन्द्रांश मदर सैंक्शन राशि में से ₹ 1063.72 लाख (दस करोड़ तिरसठ लाख बहत्तर हजार मात्र) केन्द्रांश राशि केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत लाभुक आधारित–मात्स्यिकी विकास की घटकों तथा शेष ₹936.28 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) केन्द्रांश राशि सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति हेतु उपस्थापित गैर लाभुक अवयव घटक–"इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना" की योजना हेतु कर्णांकित हैं।

5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–ब०–15 / बी०एस०जी०–57 / 25 / 410 / वि०, दिनांक–12.06.2025 के द्वारा SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शामिल है) के सफल क्रियान्वयन से संबंधित निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में इस केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की राशि को 60:40 अनुपात में निकासी निम्नलिखित केन्द्रांश से सम्बन्धित बजटीय शीर्ष में उपबंधित राशि से विकलन किया जायेगा :–

(i). इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत् अन्य श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लाभुकों के लिए स्वीकृत (केन्द्रांश एवं राज्यांश) राशि का 60:40 अनुपात में विकलन–मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0219 –नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02–2405001010219 के विषय शीर्ष–0219.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

(ii). इस केन्द्र प्रायोजित के लाभुक आधारित घटक के तहत् अनुसूचित जातियों के लाभुकों के लिए स्वीकृत (केन्द्रांश एवं राज्यांश) राशि का 60:40 अनुपात में विकलन–मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0201 –नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02–2405007890201 के विषय शीर्ष–0201.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

(iii). इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत् अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए स्वीकृत (केन्द्रांश एवं राज्यांश) राशि का 60:40 अनुपात में विकलन–मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0201 –नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02–2405007960201 के विषय शीर्ष–0201.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित से किया जाएगा।

6. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 (2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 को छोड़कर) में केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम एवं अतिरिक्त चरण में प्रशासनिक स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत लाभुक–आधारित घटक के तहत अन्य

(सामान्य) श्रेणी, सभी श्रेणी के महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति के लाभुकों को देय केन्द्रांश एवं राज्यांश अनुदान (सब्सिडी) राशि को 60:40 अनुपात में विकलन विपत्र कोड 02–2405001010219 के विषय शीर्ष–0219.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

7. योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार ही अनुदान की राशि देय होगा। विभिन्न अवयवों की इकाई लागत तथा देय अनुदान की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित है जिसके अनुसार ही अनुदान का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी अवयव की लागत योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होती है तो अतिरिक्त व्यय राशि का वहन लाभुक द्वारा स्वयं स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से किया जाएगा।

8. इस योजनान्तर्गत के सफल कार्यान्वयन हेतु मत्स्य निदेशालय के पत्रांक म०यो०–17/2020–107, दिनांक–27 जनवरी, 2021, म०यो०–17/2020 (खंड–I)–1337, दिनांक–8 जुलाई, 2022, म०यो०–17/2020(खंड–I)–527, दिनांक–30 मार्च, 2024 तथा म०यो०–17/2020(खंड–I)–267, दिनांक–15 जनवरी, 2025 द्वारा निर्गत तथा भविष्य में निर्गत होने वाले क्रियान्वयन अनुदेश की अनुमान्यता होगी।

9. Department of Expenditure, PFMS Division, Ministry of Finance, Govt. Of India द्वारा "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through e-kuber of Reserve Bank of India (RBI) से सम्बन्धित निर्गत कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) F.No. 1(27)/PFMS/2020, दिनांक 13 जुलाई, 2023 एवं 10 जून, 2025 तथा भविष्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार (वित्त विभाग, बिहार, पटना) द्वारा निर्गत करने वाले दिशा–निर्देश से इस योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी/व्यय किये जाने वाले राशि अच्छादित होगी।

10. इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत धनराशि का प्रबंधन और व्यय प्रगतिशील तरीके से समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण (Real Time System of Integrated Quick Tranfers) ढांचे के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें पी०एफ०एम०एस०–एस०एन०ए० स्पर्श (Public Financial Management System-SNA SPARSH), राज्य आई०एफ०एम०आई०एस० (State Integrated Financial Management Information System) और भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के ई–कुबेर प्लेटफ़ॉर्म (e-kuber platform) शामिल होंगे।

11. Department of Expenditure, Govt. Of India के दिशानिर्देश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश की राशि मदर सैंक्शन (Mother Sanction) के रूप में SNA SPARSH Platform of PFMS प्रणाली में विमुक्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत केन्द्रांश राशि तथा इसके अनुपातिक राज्यांश राशि को केन्द एवं राज्य सरकार द्वारा SNA SPARSH प्रणाली से सम्बन्धित निर्गत दिशानिर्देश/अनुदेश के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय किया जायेगा।

12. इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो, विभागीय अधिसूचना संख्या म० योजना–08/2021–313, दिनांक–02 मार्च, 2022 के तहत प्रदत्त शक्ति के आलोक

में निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु समुचित निर्णय लिया जाएगा अथवा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval and Monitoring Committee) के अनुमति से निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत कर सकेंगे।

13. इस योजना के सफल क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्य के ससमय उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा जिलों के मांग तथा उपलब्ध स्वीकृत राशि को दृष्टिपथ में रखते हुए जिलों को किस्तों में व्यय हेतु लिमिट राशि आवंटित किया जायेगा। लेकिन लिमिट राशि का आवंटन एवं व्यय योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही सीमित रहेगा।

14. साथ ही, जिलों को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की उपलब्धि में कतिपय कारणों से कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में अन्य जिलों के द्वारा भौतिक लक्ष्य की मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंतर–जिला लक्ष्य का स्थानान्तरण निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा किया जा सकेगा। इस के लिए अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

15. प्रस्तावित इस देयता (Liability) योजना का क्रियान्वयन तत्समय निर्गत राज्यादेश में निहित प्रावधान के तहत की जाएगी। योजनान्तर्गत पूर्व में जिलों को संसूचित अवयवार, श्रेणीवार, जिलावार लक्ष्य की अनुमान्यता होगी।

16. इस योजना के तहत बजटीय–शीर्षवार, विषयशीर्षवार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कोषागार, व्यय हेतु स्वीकृत राशि आदि तथा जिलावार, श्रेणीवार वितीय लक्ष्य की विस्तृत विवरणी क्रमशः अनुलग्नक–I एवं अनुलग्नक–II के रूप में संलग्न है।

17. इस योजनान्तर्गत सभी कार्यान्वयन एजेन्सी (Implementing Agency) विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र मत्स्य निदेशालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे जिसे समेकित रूप में विहित प्रपत्र में केन्द्र सरकार को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

18. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी तथा पूर्णरूपेण जवाबदेह होंगे।

19. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे।

20. यह स्कीम एक केन्द्र प्रायोजित चालू स्कीम है। इस स्कीम का लागत मूल्य रुपये 15.00 करोड़ से अधिक एवं 30.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान एवं प्रदत्त शक्ति के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका–6 एस०एस० (6)11/2020 के पृष्ठ–122/टि० एवं दिनांक–08.06.2026.

21. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)11/2020 के पृष्ठ–221/टि० एवं डायरी क्रमांक–354, दिनांक–02.06.2026.

22. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)11/2020–3074 /पटना–15, दिनांक–18/6/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)11/2020–3074 /पटना–15, दिनांक–18/6/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)11/2020–3074 /पटना–15, दिनांक–18/6/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)11/2020–3074 /पटना–15, दिनांक–18/6/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)11/2020–3074 /पटना–15, दिनांक–18/6/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित उपायुक्त (मात्स्यिकी), मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग, चन्द्रलोक भवन, पहली मंजिल, 36, जनपथ, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)11 / 2020–3074 / पटना–15, दिनांक–18 / 6 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी / विभागीय योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)11 / 2020–3074 / पटना–15, दिनांक–18 / 6 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/6

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)11 / 2020–3074 / पटना–15, दिनांक–18 / 6 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6

सरकार के संयुक्त सचिव

6 Typed by Sanjay Kumar

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत (केन्द्र सरकार द्वारा 2020–21 से 2024–25 तक प्रशासनिक स्वीकृत) स्वीकृत तथा कार्यान्वित लाभुक आधारित–मात्स्यिकी विकास की अवयवों को पूर्ण करने हेतु वृहद, लघु एवं उपशीर्ष बजट विवरणी कोषागार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची तथा निकासी/व्यय हेतु स्वीकृत राशि की विवरणी।

(राशि लाख में)

	वृहद, मुख्य, लघु, उप शीर्ष एवं विपत्र कोड	विषय शीर्ष	व्यय हेतु स्वीकृत राशि (60:40)			निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8
(क)	मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0219 –नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02–2405001010219	0219–33.01– सब्सिडी	660.520	440.350	1100.870	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/ जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)	कोषागार, (सभी)।
(ख)	मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0201 –नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02–2405007890201	0201–33.01– सब्सिडी	346.190	230.800	576.990		
(ग)	मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0201 –नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02–2405007960201	0201–33.01– सब्सिडी	57.010	38.010	95.020		
		कुल योग–	**1063.720**	**709.160**	**1772.880**		

(कुल सतरह करोड़ बहत्तर लाख अठासी हजार मात्र)

3074
18/6/26

16/6

सरकार के संयुक्त सचिव

7 Typed by Sanjay Kumar

(अनुलग्नक–II)

वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत (केन्द्र सरकार द्वारा 2020–21 से 2024–25 तक प्रशासनिक स्वीकृत) स्वीकृत तथा कार्यान्वित लाभुक आधारित–मात्स्यिकी विकास की अवयवों को पूर्ण करने हेतु जिलावार लिमिट राशि की विवरणी।

(राशि रुपया में)

क्र0	जिला	वृहद, मुख्य, लघु, उपशीर्ष एवं विपत्र कोड									कुल केन्द्रांश राशि (रुपया में)	कुल राज्यांश राशि (रुपया में)	महायोग
		मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00,											
		लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन			लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना					
		उप शीर्ष–0219 –नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड 02–2405001010219			उप शीर्ष–0201 –नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड 02–2405007890201			उपशीर्ष–0201–नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड 02–2405007960201					
		(अन्य श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लाभुकों हेतु अनुदान अवयववार निर्धारित इकाई लागत का क्रमशः 40 एवं 60 प्रतिशत)			(अनुसूचित जातियों के लाभुकों हेतु अनुदान अवयववार निर्धारित इकाई लागत का 60 प्रतिशत)			(अनुसूचित जनजातियों के लाभुकों हेतु अनुदान अवयववार निर्धारित इकाई लागत का 60 प्रतिशत)					
		0219–33.01 – सब्सिडी			0201–33.01 – सब्सिडी			0201–33.01 – सब्सिडी			33.01 – सब्सिडी	33.01 – सब्सिडी	33.01 – सब्सिडी
		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल			
1	पटना	3474000	2316000	5790000	2718000	1812000	4530000	0	0	0	6192000	4128000	10320000
2	भोजपुर	4260000	2840000	7100000	720000	480000	1200000	0	0	0	4980000	3320000	8300000
3	बक्सर	439200	292800	732000	0	0	0	0	0	0	439200	292800	732000
4	रोहतास	600000	400000	1000000	480000	320000	800000	0	0	0	1080000	720000	1800000
5	कैमूर	1344000	896000	2240000	628200	418800	1047000	0	0	0	1972200	1314800	3287000
6	नालंदा	1845600	1230400	3076000	1266000	844000	2110000	0	0	0	3111600	2074400	5186000
7	गया	1335000	890000	2225000	2623200	1748800	4372000	0	0	0	3958200	2638800	6597000
8	औरंगाबाद	708000	472000	1180000	721200	480800	1202000	0	0	0	1429200	952800	2382000
9	जहानाबाद	430800	287200	718000	365400	243600	609000	0	0	0	796200	530800	1327000
10	अरवल	105600	70400	176000	0	0	0	0	0	0	105600	70400	176000
11	नवादा	1100400	733600	1834000	2053800	1369200	3423000	0	0	0	3154200	2102800	5257000
12	मुजफ्फरपुर	11442600	7628400	19071000	3967200	2644800	6612000	0	0	0	15409800	10273200	25683000
13	वैशाली	4999800	3333200	8333000	1007400	671600	1679000	0	0	0	6007200	4004800	10012000
14	पूर्वी चम्पारण	2489400	1659600	4149000	1080000	720000	1800000	0	0	0	3569400	2379600	5949000
15	पश्चिमी चम्पारण	1816200	1210800	3027000	1311000	874000	2185000	1182400	788600	1971000	4309600	2873400	7183000
16	शिवहर	578400	385600	964000	597000	398000	995000	0	0	0	1175400	783600	1959000
17	सीतामढ़ी	600000	400000	1000000	43800	29200	73000	0	0	0	643800	429200	1073000
18	दरभंगा	1426800	951200	2378000	650400	433600	1084000	0	0	0	2077200	1384800	3462000
19	मधुबनी	1236000	824000	2060000	300000	200000	500000	0	0	0	1536000	1024000	2560000
20	समस्तीपुर	582000	388000	970000	0	0	0	0	0	0	582000	388000	970000
21	सारण	900000	600000	1500000	0	0	0	0	0	0	900000	600000	1500000
22	सिवान	955200	636800	1592000	0	0	0	0	0	0	955200	636800	1592000

क्र0	जिला	वृहद, मुख्य, लघु, उपशीर्ष एवं विपत्र कोड									कुल केन्द्रांश राशि (रुपया में)	कुल राज्यांश राशि (रुपया में)	महायोग
		मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00,											
		लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन			लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना					
		उप शीर्ष–0219 –नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड 02–2405001010219			उप शीर्ष–0201 –नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड 02–2405007890201			उपशीर्ष–0201–नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड 02–2405007960201					
		(अन्य श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लाभुकों हेतु अनुदान अवयववार निर्धारित इकाई लागत का क्रमशः 40 एवं 60 प्रतिशत)			(अनुसूचित जातियों के लाभुकों हेतु अनुदान अवयववार निर्धारित इकाई लागत का 60 प्रतिशत)			(अनुसूचित जनजातियों के लाभुकों हेतु अनुदान अवयववार निर्धारित इकाई लागत का 60 प्रतिशत)					
		0219–33.01 – सब्सिडी			0201–33.01 – सब्सिडी			0201–33.01 – सब्सिडी			33.01 – सब्सिडी	33.01 – सब्सिडी	33.01 – सब्सिडी
		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल			
23	गोपालगंज	951600	634400	1586000	69000	46000	115000	0	0	0	1020600	680400	1701000
24	मुंगेर	1256400	837600	2094000	54000	36000	90000	0	0	0	1310400	873600	2184000
25	बेगूसराय	1382400	921600	2304000	1373400	915600	2289000	0	0	0	2755800	1837200	4593000
26	खगड़िया	2276400	1517600	3794000	664800	443200	1108000	0	0	0	2941200	1960800	4902000
27	लखीसराय	971400	647600	1619000	2654400	1769600	4424000	0	0	0	3625800	2417200	6043000
28	जमुई	2127000	1418000	3545000	2817000	1878000	4695000	1665600	1110400	2776000	6609600	4406400	11016000
29	शेखपुरा	1633800	1089200	2723000	1201800	801200	2003000	0	0	0	2835600	1890400	4726000
30	सहरसा	1596600	1064400	2661000	324000	216000	540000	0	0	0	1920600	1280400	3201000
31	मधेपुरा	852000	568000	1420000	212400	141600	354000	0	0	0	1064400	709600	1774000
32	सुपौल	294600	196400	491000	141600	94400	236000	0	0	0	436200	290800	727000
33	पूर्णियाँ	1902000	1268000	3170000	461400	307600	769000	0	0	0	2363400	1575600	3939000
34	अररिया	600000	400000	1000000	793200	528800	1322000	0	0	0	1393200	928800	2322000
35	कटिहार	1027800	685200	1713000	1435200	956800	2392000	1876800	1251200	3128000	4339800	2893200	7233000
36	किशनगंज	1294600	863400	2158000	432200	288800	721000	0	0	0	1726800	1152200	2879000
37	भागलपुर	3116400	2077600	5194000	1032000	688000	1720000	510000	340000	850000	4658400	3105600	7764000
38	बाँका	2100000	1400000	3500000	420000	280000	700000	466200	310800	777000	2986200	1990800	4977000
	कुल	**66052000**	**44035000**	**110087000**	**34619000**	**23080000**	**57699000**	**5701000**	**3801000**	**9502000**	**106372000**	**70916000**	**177288000**

1616

सरकार के सचिव

3074
18/6/26